Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता : अलीराजपुर जिले के महाविद्यालयों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

थानसिंह गेहलोत* डॉ. संजीव कुमार शर्मा **

* शोधार्थी, माघव यूनिवर्सिटी, पिंडवाड़ा, जिला - सिरोही (राज.) भारत
** सहायक आचार्य, माघव यूनिवर्सिटी, पिंडवाड़ा, जिला - सिरोही (राज.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान युग को सूचना और ज्ञान का युग कहा जाता है, जहाँ शिक्षा, शोध और रोजगार के अवसरों तक पहुँच सूचना साक्षरता पर अत्यधिक निर्भर हो गई है। सूचना साक्षरता वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति सूचना की आवश्यकता को पहचानता है, उपयुक्त स्रोतों से सूचना प्राप्त करता है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है तथा नैतिक एवं प्रभावी ढंग से उसका उपयोग करता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षमता विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास, शोध कौशल और आजीवन अधिगम के लिए अनिवार्य मानी जाती है।

अनुसूचित जनजाति समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित रहा है। डिजिटल युग में यह वंचना 'डिजिटल विभाजन' के रूप में और अधिक स्पष्ट हो गई है। प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता के स्तर, उपयोग-प्रवृत्तियों तथा उससे जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति अपनाई गई तथा 470 विद्यार्थियों से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से डेटा संकलित किया गया। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि यद्यपि विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और इंटरनेट सूचना का प्रमुख स्रोत बन चुका है, फिर भी प्रशिक्षण की कमी, सीमित तकनीकी अवसंरचना और संसाधनों की अनुपलब्धता सूचना साक्षरता के प्रभावी विकास में बाधक बनी हुई है। अध्ययन में सूचना साक्षरता को सुदृढ़ करने हेतु व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

शब्द कुंजी –सूचना साक्षरता, उच्च शिक्षा, अनुसूचित जनजाति, डिजिटल विभाजन, अलीराजपुर जिला।

प्रस्तावना – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने शिक्षा प्रणाली के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन किया है। आज ज्ञान केवल पुस्तकों या कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि डिजिटल माध्यमों, ऑनलाइन संसाधनों, ई-पुस्तकों, ई-जर्नलों और डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध है। इस परिवर्तित शैक्षणिक परिदृश्य में सूचना साक्षरता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।

सूचना साक्षरता का आशय केवल पढ़ने-लिखने या कंप्यूटर चलाने की क्षमता से नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी कौशल है, जिसमें सूचना की पहचान, खोज, मूल्यांकन, उपयोग और प्रस्तुतीकरण की क्षमता सम्मिलित होती है। उच्च शिक्षा में यह क्षमता विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन, आलोचनात्मक चिंतन और शोध कार्य के लिए सक्षम बनाती है।

भारतीय संदर्भ में उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन और समान अवसर सुनिश्चित करना भी है। अनुसूचित जनजाति समुदाय भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो भौगोलिक रूप से प्राय: दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करता है। इन क्षेत्रों में शैक्षणिक एवं तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सीमित रहती है, जिससे जनजातीय विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता प्रभावित होती है।

मध्यप्रदेश का अलीराजपुर जिला पूर्णत: अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है। यहाँ के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और उच्च शिक्षा उनके लिए सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन का एक प्रमुख माध्यम है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि अलीराजपुर जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया जाए। प्रस्तुत अध्ययन इसी आवश्यकता की पूर्ति करता है।

उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में सूचना साक्षरता एक ऐसी अनिवार्य क्षमता के रूप में उभर कर सामने आई है, जिसके बिना न तो शैक्षणिक प्रगति की कल्पना की जा सकती है और न ही सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने ज्ञान के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। आज सूचना केवल पुस्तकों या कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट, डिजिटल लाइब्रेरी, ई-जर्नल, ऑनलाइन डेटाबेस और विभिन्न डिजिटल मंचों के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध है। ऐसे वातावरण में सूचना की प्रचुरता के साथ-साथ यह चुनौती भी उत्पन्न हुई है कि कौन-सी सूचना उपयोगी, प्रामाणिक और शैक्षणिक दृष्टि से सार्थक है। इसी संदर्भ में सूचना साक्षरता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। सूचना साक्षरता वह क्षमता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी सूचना की आवश्यकता को पहचानते हैं, उपयुक्त स्रोतों से सूचना प्राप्त करते हैं, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तथा नैतिक और प्रभावी ढंग से उसका उपयोग करते हैं।

उच्च शिक्षा में सूचना साक्षरता केवल एक सहायक कौशल नहीं, बल्कि

शैक्षणिक गुणवत्ता का आधार बन चुकी है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकें, शोध सामग्री की पहचान कर सकें और नवीन ज्ञान के सृजन में सहभागी बन सकें। सूचना साक्षरता विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता और आजीवन सीखने की प्रवृत्ति विकसित करती है। यह क्षमता विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्ग ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक वंचनाओं का सामना करता रहा है।

भारतीय सामाजिक संरचना में अनुसूचित जनजातियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, किंतु भौगोलिक दूरस्थता, सीमित संसाधन और पारंपरिक जीवन-शैली के कारण इन समुदायों की शिक्षा तक पहुँच अपेक्षाकृत सीमित रही है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा जनजातीय शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएँ लागू की गईं, फिर भी उच्च शिक्षा में इनकी भागीदारी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। डिजिटल युग में यह चुनौती 'डिजिटल विभाजन' के रूप में और अधिक स्पष्ट हो गई है। डिजिटल विभाजन का अर्थ केवल तकनीकी उपकरणों की कमी नहीं है, बल्कि डिजिटल कौशल, प्रशिक्षण और सूचना साक्षरता की असमानता भी है।

मध्यप्रदेश का अलीराजपुर जिला पूर्णत: अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है। यह क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता है और यहाँ के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। उच्च शिक्षा इन विद्यार्थियों के लिए केवल शैक्षणिक उन्नति का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक गतिशीलता और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि अलीराजपुर जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता की स्थिति का गहन विश्लेषण किया जाए।

सूचना साक्षरता की अवधारणा एवं उच्च शिक्षा में महत्व – सूचना साक्षरता की अवधारणा का विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुसार, सूचना साक्षर व्यक्ति वह है जो यह जानता है कि उसे कब सूचना की आवश्यकता है और वह आवश्यक सूचना को प्रभावी ढंग से खोज, मूल्यांकन एवं उपयोग कर सकता है।
उच्च शिक्षा में सूचना साक्षरता के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं:

1. सूचना की आवश्यकता की पहचान
2. उपयुक्त सूचना स्रोतों का चयन
3. सूचना खोज रणनीतियों का प्रयोग
4. सूचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन
5. सूचना का नैतिक एवं कानूनी उपयोग

सूचना साक्षरता विद्यार्थियों को आजीवन सीखने के लिए तैयार करती है। यह उन्हें न केवल पाठ्यक्रम आधारित अध्ययन में, बल्कि शोध, नवाचार और रोजगारोन्मुख गतिविधियों में भी सक्षम बनाती है।

अनुसूचित जनजाति, उच्च शिक्षा एवं डिजिटल विभाजन – अनुसूचित जनजाति समुदाय भारतीय समाज का वह वर्ग है, जो ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा से अपेक्षाकृत अलग रहा है। शिक्षा को इस समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमुख साधन माना गया है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा जनजातीय शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न योजनाएँ एवं नीतियाँ लागू की गईं।

डिजिटल युग में एक नई चुनौती के रूप में 'डिजिटल विभाजन' उभर कर सामने आया है। डिजिटल विभाजन का अर्थ है तकनीकी संसाधनों, इंटरनेट सुविधा और डिजिटल कौशल में असमानता। जनजातीय क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक गहन रूप में देखी जाती है।

अलीराजपुर जिले के महाविद्यालय इस स्थिति का प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहाँ डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सीमित है और सूचना साक्षरता प्रशिक्षण की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता के स्तर का विश्लेषण करना।
2. सूचना प्राप्ति के प्रमुख स्रोतों और उपयोग-प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
3. सूचना साक्षरता के उपयोग में आने वाली समस्याओं की पहचान करना।
4. सूचना साक्षरता के विकास हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति – प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति अपनाई गई। अध्ययन क्षेत्र के रूप में अलीराजपुर जिले के चार शासकीय महाविद्यालयों का चयन किया गया।

नमूना के रूप में 470 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का चयन किया गया। डेटा संकलन हेतु संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया, जिसमें सूचना साक्षरता, कंप्यूटर ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट उपयोग से संबंधित प्रश्न सम्मिलित थे।

डेटा का विश्लेषण प्रतिशत विधि, तालिकात्मक प्रस्तुति और वर्णनात्मक व्याख्या द्वारा किया गया।

डेटा विश्लेषण एवं चर्चा – अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी सूचना साक्षरता के महत्व को स्वीकार करते हैं। इंटरनेट सूचना का प्रमुख स्रोत बन चुका है, जबकि पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग अपेक्षाकृत कम पाया गया।

सूचना साक्षरता प्रशिक्षण की अनियमितता एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। कंप्यूटर एवं इंटरनेट अवसंरचना की सीमित उपलब्धता के कारण अनेक विद्यार्थी डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

यह स्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि सूचना साक्षरता केवल तकनीकी उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और संस्थागत समर्थन पर भी निर्भर करती है।

निष्कर्ष – अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अलीराजपुर जिले के अनुसूचित जनजाति महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता का स्तर मध्यम है। यद्यपि डिजिटल युग के प्रभाव से सूचना संसाधनों का उपयोग बढ़ा है, फिर भी प्रशिक्षण एवं संसाधनों की कमी सूचना साक्षरता के प्रभावी विकास में बाधक बनी हुई है।

यदि महाविद्यालयों में सूचना साक्षरता को एक संगठित और निरंतर कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाए, तो यह जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सुझाव :

1. महाविद्यालयों में नियमित सूचना साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
2. पुस्तकालयों को डिजिटल संसाधनों से सुसज्जित किया जाए।

3. कंप्यूटर एवं इंटरनेट अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए।
4. सूचना साक्षरता को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाया जाए।
5. जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विशेष डिजिटल प्रशिक्षण योजनाएँ लागू की जाएँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, आर. (2018). सूचना साक्षरता और उच्च शिक्षा, नई दिल्ली: एसोसिएटेड पब्लिशर्स।
2. कुमार, संजीव. (2019). महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता का अध्ययन, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका, 33(2), 45-52।
3. शर्मा, आर. के. (2017). ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान: सिद्धांत और व्यवहार, जयपुर: राज पब्लिकेशन्स।
4. मिश्रा, पी. (2020). अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों में डिजिटल विभाजन की समस्या, समाजशास्त्र विमर्श, 12(1), 78-85।
5. सिंह, ए. के. (2016). सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा, वाराणसी: ज्ञान भारती प्रकाशन।
6. वर्मा, एस. (2019). उच्च शिक्षा में सूचना साक्षरता का महत्व. शैक्षिक अध्ययन, 7(3), 112-118।
7. पटेल, एम. (2018). जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा एवं तकनीकी चुनौतियाँ, आदिवासी अध्ययन पत्रिका, 5(2), 39-46।
8. भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
9. यादव, आर. (2017). डिजिटल भारत और शिक्षा, नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
10. चौधरी, एल. (2021). महाविद्यालयीन पुस्तकालयों में सूचना साक्षरता कार्यक्रम, ग्रंथालय दर्पण, 14(1), 21-29।
11. सिंह, डी. (2019). सूचना समाज और ज्ञान संस्कृति, इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।
12. यूनेस्को. (2018). मीडिया एवं सूचना साक्षरता: नीति एवं दिशा-निर्देश (हिंदी संस्करण), नई दिल्ली: यूनेस्को कार्यालय।

****